रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2006/भाद्र 6, 1928
No. 393] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2006/BHADRA 6, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 507(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 को और आगे संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. ये नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधित) नियम, 2006 कहलाएंगे ।
2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में, नियम 19 में खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित खण्डों का प्रतिस्थापन किया जाएगा, नामत: :—

(ग) "अनुज्ञप्ति-धारी अथवा पट्टाधारी, जितना शीघ्र संभव हो सके, केन्द्र सरकार अथवा इसके नामनिर्दिष्ट अभिकरण को अनुज्ञप्ति अथवा पट्टे के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रचालनों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए अथवा प्राप्त किए जाने वाले सभी आंकड़े बिना लागत के, प्रदान करेगा, जिसमें भौगोलिक, भू-भौतिक, भू-रासायनिक, पेट्रो भौतिकी, अभियांत्रिकी, कूप-खण्डों, नक्शों, चुम्बकीय टेपों, कोरों, कटिंग व उत्पादन के आंकड़ों के साथ-साथ सभी व्याख्यात्मक तथा व्युत्पन्न आंकड़े जिसमें पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित रिपोर्टें, विश्लेषण, व्याख्याएं तथा तैयार किए गए मूल्यांकन शामिल हैं, किन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और इस प्रकार से ये आंकड़े केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति होंगे :

परन्तु, अनुज्ञप्ति-धारी अथवा पट्टाधारी को अनुज्ञप्ति अथवा पट्टे के तहत पेट्रोलियम प्रचालनों के प्रयोजन के लिए ऐसे आंकड़ों का बिना लागत के प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण को किसी भी व्यक्ति अथवा वैधानिक संस्था के समक्ष गैर-स्वाम्य प्रकृति वाले अथवा कोई आंकड़े प्रकट करने का अधिकार होगा यदि केन्द्र सरकार अथवा उसके नामनिर्दिष्ट अभिकरण की राय हो कि ऐसे आंकड़े के प्रकटीकरण से भारत में अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों को सहायता और बढ़ावा मिलेगा :

परन्तु, केन्द्रीय सरकार अथवा उसके नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टाधारी की सहमति से इन प्रयोजनों के लिए किसी समय स्वाम्य प्रकृति के किसी आंकड़े को प्रकट किया जा सकता है :

परन्तु, यह भी कि ऐसे मामलों में, जहां जिस तिथि से ऐसा आंकड़ा उपलब्ध हुआ हो उस तिथि के बाद पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हों अथवा अनुज्ञप्ति या पट्टे का निर्धारण किए जाने पर, जो भी पहले हो, हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने

के लिए ऐसा आंकड़ा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को प्रकट किया जा सकता है, ऐसे प्रकटीकरण के लिए किसी सहमति की जरूरत नहीं होगी :

परन्तु, यह भी कि यदि किसी मामले में इस प्रश्न पर मतभेद हो कि कोई विशेष आंकड़ा स्वाम्य प्रकृति का है या नहीं, केन्द्र सरकार को उस मामले में निर्णय करने का अनन्य प्राधिकार होगा।

(ङ) किसी भूतल क्षेत्र के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति अथवा पट्टे का निर्धारण होने पर आंकड़े की एक प्रति उस राज्य सरकार को भी दी जाएगी, जिसने अनुज्ञप्ति अथवा पट्टा दिया हो।"

[सं. ओ-32011/33/2000-ओएनजी/डी. IV]

प्रभ दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 24 नवम्बर, 1959 के सं. सा.का.नि. 1288 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और बाद में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के सं. सा.का.नि. 295(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2006

G.S.R. 507(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely :—

1. These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2006.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, in rule 19, for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

(c) "the licensee or the lessee shall, as soon as possible provide the Central Government or its designated agency, free of cost, all data earlier obtained or to be obtained as a result of petroleum operations under the license or lease including, but not limited to, geological, geophysical, geochemical, petrophysical, engineering, well logs, maps, magnetic tapes, cores, cuttings and production data as well as all interpretative and derivative data, including reports, analyses, interpretations and evaluation prepared in respect of petroleum operations and as such data shall be the property of the Central Government :

Provided that the licensee or the lessee shall have the right to make use of such data, free of cost, for the purpose of petroleum operations under the license or lease.

(d) the Central Government or its designated agency shall have the right to disclose at any time, any or all data of non-proprietary nature, to any person or legal entity, if in the opinion of the Central Government or its designated agency disclosure of such data shall help and promote exploration and production activities in India :

Provided that the disclosure of any data of proprietary nature for these purposes may be made by the Central Government or its designated agency at any time with the consent of the licensee or the lessee :

Provided further that in cases where five years have lapsed from the date from which such data becomes available or upon determination of the license or lease, whichever is earlier, such data may be disclosed to any person or legal entity to promote exploration and production of hydrocarbons, for which disclosure no consent shall be required :

Provided also that in case of a conflict on the question as to whether any particular data is of proprietary nature, the Central Government shall be the sole authority to decide on the matter.

(e) upon determination of a license or lease in respect of an on land area, a copy of the data shall also be provided to the State Government, which has granted license or lease."

[No. O-32011/33/2000-ONG/D. IV]

PRABH DAS, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 1288 dated the 24th November, 1959 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 295(E), dated 1st April, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

— 106 . 157